"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 नवम्बर 2017 —— कार्तिक 22, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

### अधिसूचना
सं. 30/2017 केन्द्रीय कर (दर)

क्रमांक एफ–10– 90/2017/वाक/पांच (160). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रं. 7 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017 राज्य कर (दर) क्रमांक एफ–10–43/2017/वाक/ पांच (80) दिनांक 28 जून, 2017, जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा –

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविटियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :–

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9ख | अध्याय 99 | नेपाल और भूटान (भू–स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं का आपूर्ति | कुछ नहीं | कुछ नहीं". |

2. यह अधिसूचना दिनांक 29–09–2017 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ–10– 90/2017/वाक/पांच (160). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–90/2017/वाक/पांच (160), दिनांक 08–11–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 8th November 2017

NOTIFICATION
No. 30/2017- State Tax (Rate)

No. F-10- 90/2017/CT/V (160 ). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 12/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (80), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely -

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9B | Chapter 99 | Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries). | Nil | Nil". |

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 29-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.